

# CHIRKUNDA NAGAR PANCHAYAT, CHIRKUNDA

## HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. 495813270319042407

Date : 27-03-2019

Department / Section : Revenue Section

Ward No : 17

Account Description : Holding Tax & Others

Holding No. : 0170000648000M0

Name : JAGDISH PRASAD SHARMA

S/O, - LT SHANKAR LAL SHARMA

Address : PANCHET ROAD CHIRKUNDA 3 NO CHARAI KHATA NO233 PLOT NO 1075,1078 MAUJA NO254  
LAIKDIH TO DEC 50.25, Chirkunda , Dhanbad - 828202

MOB : 7209930440

A Sum of Rs. 3,109.00 (in words) Three Thousand One Hundred and Nine Only

towards Holding Tax & Others vide Cash .....

Dated ..... Drawn on .....

Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear		0.00
Holding Tax Current	2018-2019 / 1 2018-2019 / 4	3,048.00
	<b>Total</b>	<b>3,048.00</b>
	<b>Additional Tax</b>	<b>0.00</b>
	<b>Penalty Amount</b>	<b>137.00</b>
	<b>Rebate on current Demand</b>	<b>76.20</b>
	<b>Adjust amount</b>	<b>0.00</b>
	<b>Amount Received</b>	<b>3,109.00</b>
	<b>Advance Amount</b>	<b>0.00</b>



Signature of Tax Collector

**Notes:-**

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : [www.udhd.jharkhand.gov.in](http://www.udhd.jharkhand.gov.in)

In Collaboration With  
Ritika Printech Pvt. Ltd.

सेवा में,  
श्रीमान अंचल अधिकारी  
मिरसा


विषय:- चिरकुण्ड नगरपालिका अर्थात् अवालिग कौशल विकास  
केंद्र पर साठ बरौत गौचालय काशी सिमाना के सम्बन्ध में  
संलग्न - कार्यपालक पदाधिकारी चिरकुण्ड नगरपालिका चिरकुण्ड का 4/3/1398  
महालय दिनांक 21.12.18

भवदीय के अधिसूचना भाग दिनांक 10.1.19 में जोड़ा  
लाइन नं 254 के लोटेन 1068 कौशल विकास केंद्र  
के लिए निर्माण कार्य शुरू एवं संलग्न लोटेन 1075 का  
सिमाना सिमाना के दोनों तरफ के अमीन के उपस्थिति  
में कार्यपालक पदाधिकारी - चिरकुण्ड एवं विषदी श्री  
उत्तम कुमार शर्मा उर्फ कबू के आतिथी में किया  
एवं फटा गिरा कर सिमाना किया गया

आला-नापी एवं वेदक आवश्यक कार्य हेतु सादर

समाप्त।

Uttam Kumar Sharma  
10/11/2019

  
10/11/19  
कार्यपालक पदाधिकारी  
चिरकुण्ड नगर परिषद

आपका विश्वासी  
शंकर प्रदुई  
अ. अमीन  
दिनांक  
10.1.19

Tapan Mendal.  
10/1/19.



## अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

क्रमांक- 475  
दिनांक- 16/04/2019

### -:: जमाबंदी प्रमाण-पत्र ::-

राजस्व कर्मचारी, श्री अशोक कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि मौजा- लायकडीह, मौजा नं०- 254 के खाता सं०- 233, प्लॉट सं०- 1075 एवं 1078, रकबा- 50¼ डी० भूमि केवाला दलील सं०- 2015, दिनांक- 28-02-1985 के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पिता-शंकर लाल शर्मा एवं श्रीमति सावित्री देवी, पति-स्व० शंकर लाल शर्मा साकिम-धिरकुण्डा, के नाम से क्रय किया गया है। उक्त भूमि का दा०खा० केश सं०- 692(XI)/98-99 के आदेशानुसार पंजी-11 के जमाबंदी सं०-976 में आवेदक के नाम से मौग कायम है।

प्रश्नगत भूमि ऑनलाईन पंजी-11 के भोत्युम सं०-04, पृष्ठ सं०-976 में श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं श्रीमति सावित्री देवी के नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2019-20 तक लगान-रसीद निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का दखल-कब्जा है। उक्त भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी सी०एन०टी०, भू-दान, सैरात, वन भूमि, बी०सी०सी०एल०, ई०सी०एल० आदि से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण सी० एन० टी० एक्ट की धारा-46(01) से मुक्त है।

अतः आवेदक, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को जमाबंदी प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।

यह प्रमाण-पत्र केवल मकान निर्माण कार्य हेतु मान्य होगा।



अंचल अधिकारी  
निरसा  
16/04/19



## अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

क्रमांक- 475  
दिनांक- 16/04/2019

### -:: जमाबंदी प्रमाण-पत्र ::-

राजस्व कर्मचारी, श्री अशोक कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि मौजा- लायकडीह, मौजा नं०- 254 के खाता सं०- 233, प्लॉट सं०- 1075 एवं 1078, रकबा- 50¼ डी० भूमि केवाला दलील सं०- 2015, दिनांक- 28-02-1985 के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पिता-शंकर लाल शर्मा एवं श्रीमति सावित्री देवी, पति-स्व० शंकर लाल शर्मा साकिम-धिरकुण्डा, के नाम से क्रय किया गया है। उक्त भूमि का दा०खा० केश सं०- 692(XI)/98-99 के आदेशानुसार पंजी-11 के जमाबंदी सं०-976 में आवेदक के नाम से मौग कायम है।

प्रश्नगत भूमि ऑनलाईन पंजी-11 के भोत्युम सं०-04, पृष्ठ सं०-976 में श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं श्रीमति सावित्री देवी के नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2019-20 तक लगान-रसीद निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का दखल-कब्जा है। उक्त भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी सी०एन०टी०, भू-दान, सैरात, वन भूमि, बी०सी०सी०एल०, ई०सी०एल० आदि से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण सी० एन० टी० एक्ट की धारा-46(01) से मुक्त है।

अतः आवेदक, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को जमाबंदी प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।

यह प्रमाण-पत्र केवल मकान निर्माण कार्य हेतु मान्य होगा।



अंचल अधिकारी  
निरसा  
16/04/19

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक: 1299 / नं० नि०

श्री विनीत कुमार शर्मा, श्री रासनिवास शर्मा, श्री गौहनवाल शर्मा,  
श्री विनीत कुमार शर्मा, श्री लाला शर्मा, श्री उत्तम कुमार शर्मा  
पिता / श्री श्री लक्ष्मी चारण शर्मा  
पता चिरछण्डा, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 14/3/15

वपथ - आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केच न० बी०डी० 593/14-15  
संबंधी आपके आवेदन दिनांक 3.11.14 के संबंध में।

पत्राचय  
आपके आवेदन, दलील संख्या - 4427 दाखिल खारिज अगिलेख संख्या 2258x1413-1  
जमाबंदी संख्या 2082 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एवं  
Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत  
आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 593/14-15 के नक्शों की  
स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।  
निर्देशानुसार सूचित करना है कि लॉट नं० 254 मूजा अन्तर्गत खाता न० 233 प्लॉट  
न० IC75 रकबा 6822.31 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता  
श्री डी. सुब्रह्मण्यम की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी  
को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित  
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।  
प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा  
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना  
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।  
माछा भवन विनियम के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,  
स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।  
मिस्र प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये  
किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रमाणित भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।  
जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य  
सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।  
आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 46,500/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा  
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरु करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर  
निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

14/3/15  
साहचर्य नगर निवेशक  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद।